

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलो हेतु

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित खरीफ 2016 से रबी 2018-19 तक

**HDFC
ERGO**

Take it easy!



सुरक्षित करे आपकी फसले, समृद्धशाली करें अपना भविष्य एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कम्पनी के साथ

अपनी फसलो को निम्नलिखित विभिन्न घटकों से दे सुरक्षा

1. वर्षा – अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि बेमौसम वर्षा
2. तापमान – कम तापमान, अधिक तापमान
3. सापेक्षिक आर्द्रता
4. वायु की तीव्रता
5. या इनमे से किन्हीं 2-3 घटकों का संयोजन
6. ओलावृष्टि

अनुमोदित जिले:

बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतुल, नीमच, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, उमरिया, उज्जैन, बडवानी, ग्वालियर, रतलाम, अलीराजपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, खरगौन, धार, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाडा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ, डिंडौरी, शहडोल।

बिहित राशि और प्रीमियम: अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित फसलो हेतु निम्नलिखित प्रीमियमदर लागू।

मौसम	फसल	बिहित राशि प्रति हे (₹)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि (5%)
रबी	टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी	82030/-	4101.50
	अंगूर	195000/-	9750.00
	हरीमटर	34125/-	1706.25
	लहसुन	63100/-	3155.00
	धनिया	34125/-	1706.25
	आम	68315/-	3415.75
	अनार	163800/-	8190.00
	आलू	105000/63050	5250.00/3152.50
	प्याज	63100/-	3155.00

बीमा कराने की अंतिम तिथि

मौसम	दिनांक
रबी	15 जनवरी

दावा भुगतान की विधि : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित स्वचलित मौसम केन्द्रों के आकड़ों की अनुमोदित टर्मशीट से गणना कर दावों का आंकलन किया जायेगा एवं दावा राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा। जो कि निम्नलिखित सूत्रफल पर आधारित होगा।

दावा = दावा प्रति हेक्टेयर X बीमित क्षेत्रफल

अन्नग्री कृषकों हेतु बीमा प्रक्रिया एवं दस्तावेज:

अन्नग्री कृषक बीमा कराने हेतु अपने सम्बन्धित बैंक जहाँ कृषक का ऋण/बचत बैंक खाता हो या सी एस सी सेन्टर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।

- भू अधिकार पुस्तिका
- बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत)
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र
- पहचान पत्र (पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड)
- आधार कार्ड (अनिवार्य)

योजना के लाभ :

1. समस्त कृषक जो अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं।
2. अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम दर।
3. स्थानीय ओलावृष्टि जोखिम से सुरक्षा*।

योजना की जानकारी एवं बीमा करवाने हेतु निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/उद्यानिकी विभाग/सी एस सी सेन्टर/अधिकृत एजेंट एवं बीमा कंपनी से सम्पर्क करें।

*ओलावृष्टि जोखिम अन्तर्गत बीमा कंपनी को कृषक द्वारा हमारे टोल फ्री नं. **1800 2660 700** पर 72 घण्टों में सूचना देनी होगी। बीमा का लाभ लेने एवं अभिकर्ता (एजेन्ट) बनने हेतु संपर्क करें - **1800 2660 700**.



योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां कॉल करे



1800 2 660 700

